

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

The State of Jharkhand

V/s

Anamul Ansari & Ors.

Order sheet datedTo.....

Case No- 12/23-24

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर				आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																														
1.	2.				3.																														
12.12.2024	आदेश यह Confiscation Case No- 12/23-24 राज्य सरकार बनाम 1. एनामुल अंसारी 2. रंजीत उराँव 3. बजरंग साहु 4. सुशील भगत में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 105/अप0शा0 दिनांक 29.01.2024 एवं सेन्हा थाना काण्ड सं० 139/23 दिनांक 02.11.2023 के आलोक में धारा 379/411 भा0द0वि0 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 तथा 4/21 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन -1957 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहनों को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है। वाहन की विवरणी <table><thead><tr><th>क्र०</th><th>वाहन के प्रकार (मोडल नं०)</th><th>वाहन सं०</th><th>चेचिस नंबर</th><th>ईजन नंबर</th><th>मालिक का नाम/पता</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.</td><td>स्वराज 735 FEeR</td><td>JH08J-9603</td><td>MBNAK48ACP TH12593</td><td>CJ1354/PG006784</td><td>एनामुल अंसारी, पिता-नासिर अंसारी, सा०- चितरी अम्बा टोली थाना सेन्हा, एवं जिला-लोहरदगा।</td></tr><tr><td>02.</td><td>स्वराज 735 FEeR No.</td><td>JH08J-1434</td><td>MBNAK48ACP TH11942</td><td>CJ1354/PG006739</td><td>रंजीत उराँव, पिता-बुधुवा उराँव, सा०-एकागुड़ी, थाना सेन्हा एवं जिला लोहरदगा।</td></tr><tr><td>03.</td><td>महिन्द्रा 575 DI MKMDLX</td><td>JH08H-1318</td><td>MBNABALGKJ RC00846</td><td>RJC2MBA2533</td><td>बजरंग साहु पे०-बहुरा साहु, सा०-निंगनी, थाना एवं जिला लोहरदगा।</td></tr><tr><td>04.</td><td>महिन्द्रा 415 DI DLX</td><td>JH08G-3925</td><td>MBNAAAVAPJ RJ03133</td><td>RJJ4YBA5076</td><td>सुशील भगत, पे०-भवानी भगत, सा०-बसुवाडीपा टोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।</td></tr></tbody></table>				क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता	01.	स्वराज 735 FEeR	JH08J-9603	MBNAK48ACP TH12593	CJ1354/PG006784	एनामुल अंसारी, पिता-नासिर अंसारी, सा०- चितरी अम्बा टोली थाना सेन्हा, एवं जिला-लोहरदगा।	02.	स्वराज 735 FEeR No.	JH08J-1434	MBNAK48ACP TH11942	CJ1354/PG006739	रंजीत उराँव, पिता-बुधुवा उराँव, सा०-एकागुड़ी, थाना सेन्हा एवं जिला लोहरदगा।	03.	महिन्द्रा 575 DI MKMDLX	JH08H-1318	MBNABALGKJ RC00846	RJC2MBA2533	बजरंग साहु पे०-बहुरा साहु, सा०-निंगनी, थाना एवं जिला लोहरदगा।	04.	महिन्द्रा 415 DI DLX	JH08G-3925	MBNAAAVAPJ RJ03133	RJJ4YBA5076	सुशील भगत, पे०-भवानी भगत, सा०-बसुवाडीपा टोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।	
क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता																														
01.	स्वराज 735 FEeR	JH08J-9603	MBNAK48ACP TH12593	CJ1354/PG006784	एनामुल अंसारी, पिता-नासिर अंसारी, सा०- चितरी अम्बा टोली थाना सेन्हा, एवं जिला-लोहरदगा।																														
02.	स्वराज 735 FEeR No.	JH08J-1434	MBNAK48ACP TH11942	CJ1354/PG006739	रंजीत उराँव, पिता-बुधुवा उराँव, सा०-एकागुड़ी, थाना सेन्हा एवं जिला लोहरदगा।																														
03.	महिन्द्रा 575 DI MKMDLX	JH08H-1318	MBNABALGKJ RC00846	RJC2MBA2533	बजरंग साहु पे०-बहुरा साहु, सा०-निंगनी, थाना एवं जिला लोहरदगा।																														
04.	महिन्द्रा 415 DI DLX	JH08G-3925	MBNAAAVAPJ RJ03133	RJJ4YBA5076	सुशील भगत, पे०-भवानी भगत, सा०-बसुवाडीपा टोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।																														

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।

मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।